जिलों में सरकार के गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए ।

(4) इन 40 जिलों में से प्रत्येक जिले में केवल अल्पसंख्यक सम्प्रदायों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए यह उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक ऋणों के विभिन्न कार्यक्रमों का उनके बीच प्रचार करे और शाखा प्रबन्धकों के सहयोग से उनके लाभ के लिए उपयुक्त योजनायें तैयार करे ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी बताया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस संबंध में सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी हैं ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं और इस संबंध में हुई प्रगति पर जिला परामर्शदात्री समिति/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नजर रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी हिदायतें उन सभी राज्यों पर लागू होती हैं जिनमें पता लगाए गए ये 40 जिले स्थित हैं ।

महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उत्पाद-शुल्क का संग्रहण

1998. श्री विश्व सराव रामराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979-80 से 1984-85 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली उत्पादन पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बाबत लगभग 162.08 करोड रुपए इकट्ठा किए हैं और इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि को भारत सरकार को दिया गया जिसमें 131.57 करोड रुपए महाराष्ट्र सरकार को वापस कर दिए गए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय सरकार से बकाया 30.51 करोड रुपए की राशि की बार-बार मांग कर चुकी है परन्तु अब तक न तो कोई राशि वापस की गई है और न ही इस संबंध में कोई उचित आश्वासन ही दिया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर "हां" हो, तो बकाया राशि के वापस भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री जी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार यह दावा करती आ रही है कि 1979-1980 से 1985-86 तक (30 सितम्बर, 1984 तक) के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उगाही गई वास्तविक राशि 162.08 करोड थी जिसमें से 131.57 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा वापस कर दी गई थी और यह कि 30.52 करोड रुपए की शेष राशि राज्य सरकार को अदा कर को दर दी जाए ।

1979-80 से 1984-85 तक (30 सितम्बर, 1984 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की वापसी संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 में निर्धारित प्रतिशत अनुपात हिस्सों के अनुसार की गई है । तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा 131.57 करोड रुपए बनता था । इस राशि की अनन्तिम तौर पर वापस अदायगी कर दी गई थी जिसका भारक के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रमाणित आंकडों के आधार पर अन्तिम रूप से समायोजन किया जाना है ।

चूंकि उत्पाद शुल्क की निवल प्राप्ति की वापसी संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत वितरण अधिनियम, 1980 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर दी गई है, इसलिए मुख्य मंत्री के अनुरोध को मानना तथा राज्य सरकार को पहले से ही अदा किए जा चुके हिस्से पर पुनर्विचार संभव नहीं हो पाया है।